

४

प्रलेप 26

७० २९८५। विवाह/निर्वाचन क्षेत्र से
(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

उत्तराखण्ड विधान सभा (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए
रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने, वाला शपथ पत्र.

मैं पुरुष/पत्नी पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती आयु ५० वर्ष
...जो शहरीकाल क्लाउड - वार्ड-१ २९८५ का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन में अभ्यर्थी हूँ
सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/कर्त्ता हूँ/शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/कर्त्ता हूँ:-

1. मैं ऐसे किसी लबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध(अपराधों)का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी):

- (I) गांगला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं श्री/श्रीमती वार्ड नं. 1049/2009
(II) पुलिस थाना (थाने) उत्तराखण्ड जिला (जिले) उत्तराखण्ड राज्य उत्तराखण्ड
(III) सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध(अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है ५०४, ५०६, ५२७, १०८
(IV) न्यायालय,जिसके (जिनके) द्वारा आरोप(आरोपों) की विचारना की कई अपार्टमेंट श्री/श्रीमती उत्तराखण्ड
(V) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया थे ०६.०४.२०१०
(VI) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं नहीं

2. गुझे किसी अपराध(अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास से दंडादिष्ट किया गया है/नहीं किया गया है।

(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा)


- (I) गांगला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं लागू नहीं होता
(II) न्यायालय,जिसने दंडित किया है लागू नहीं होता
(III) पुलिस थाना (थाने) लागू नहीं होता जिला (जिले) लागू नहीं होता राज्य लागू नहीं होता
(IV) सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध(अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी कभी आरोपित किया गया है लागू नहीं होता
(V) तारीख (तारीखें) जिनको दंडादेश सुनाया गया था/सुनाए गए थे लागू नहीं होता
(VI) क्या दंडादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है/रोके गए हैं लागू नहीं होता

स्थान:- उत्तराखण्ड

तारीख:- १२.०१.२०१२

सत्यापन

मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता/करती हूँ कि इस शपथ पत्र की अंतर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्त्विक बात छिपाई नहीं गई है।.....
स्थान पर आज तारीख १२.०१.२०१२ को सत्यापित किया।



C.S. Singh
Khatija Singh, Notary Public
Khatija Singh, Notary Public
Khatija Singh, Notary Public

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर
पृष्ठ 15 का 6

भारतीय गोर न्यायिक

दस
रुपये

₹.10



TEN
RUPEES

Rs.10

INDIA NON JUDICIAL


उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

श्रीपथ पत्र नामांकन पत्र के संभर्षन के

संख्या 14AA 410852

संख्या

रिपोर्टिंग आफिसर
70 राधीमा त्रिलम सिंहगढ़
उत्तराखण्ड



G.S. Identified
6/8

Identified By Me

K. Phantum
Khatima dt. 12.12.2017

Sworn and affirm before me by

Smt./Sri...<u>लक्ष्मी देवी</u>

Identified by Sri...<u>लक्ष्मी देवी</u>

The content of the affidavit read over
to her/him of the further understanding
that the deponent's declaration is true.

Declared at Khatima dt. 12.12.2017

C. S. SINGH

